



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 555 राँची, शुक्रवार, 28 अग्रहायण, 1947 (श०)
19 दिसम्बर, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना
16 जून, 2025

संख्या-14/झा० आ०-10/2025-2406--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है।

2. आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या-5275, दिनांक-22.09.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारियों का कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-1056, दिनांक-08.05.2025 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित चिन्हित आंदोलनकारियों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	चिन्हित आंदोलनकारी/आश्रित का विवरण	चिह्नितकरण से संबंधित अधिसूचना एवं संकल्प संख्या-2108 दिनांक-07.05.2012 के तहत पूर्व का वर्गीकरण	कंडिका संशोधन करने का आधार	संकल्प सं०-1938 दिनांक-20.04.2021 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	आवेदक श्याम यादव पिता- गोराचन्द यादव ग्राम- मधुपाड़ा पोस्ट- पाकुड़ थाना- पाकुड़ (नगर) प्रखण्ड- पाकुड़ जिला- पाकुड़	अधिसूचना सं०-5275 दिनांक-22.09.2017 कण्डिका-2 (अन्य)	1. कारा संसीमन प्रमाण पत्र। 2. जेल की अवधि दिनांक 15.03.1993 से 23.03.1993 तक। 3. जेल की अवधि-08 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
2	आवेदक किशोर भगत पिता- ननीगोपाल भगत ग्राम- हरिणडांगा बाजार, रेल गेट के पास पोस्ट- पाकुड़ थाना- पाकुड़ (नगर) प्रखण्ड- पाकुड़ जिला- पाकुड़	अधिसूचना सं०-5275 दिनांक-22.09.2017 कण्डिका-2 (अन्य)	1. कारा संसीमन प्रमाण पत्र। 2. जेल की अवधि दिनांक 15.03.1993 से 23.03.1993 तक। 3. जेल की अवधि-08 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
3	आवेदक- रतन चन्द्र दे पिता- स्व० अतुल चन्द्र दे ग्राम स्टेशन रोड़, हरिणडांगा बाजार पोस्ट- पाकुड़ थाना- पाकुड़ (नगर) प्रखण्ड- पाकुड़ जिला- पाकुड़	अधिसूचना सं०-5275 दिनांक-22.09.2017 कण्डिका-2 (अन्य)	1. कारा संसीमन प्रमाण पत्र। 2. जेल की अवधि दिनांक 15.03.1993 से 23.03.1993 तक। 3. जेल की अवधि-08 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
4	आवेदक कमलेश साह उर्फ कमलेश कु० गुप्ता पिता- काशीनाथ साह चौक पोस्ट- पाकुड़ ग्राम- हरिणडांगा बाजार, गांधी थाना- पाकुड़ (नगर) प्रखण्ड- पाकुड़ जिला- पाकुड़	अधिसूचना सं०-5275 दिनांक-22.09.2017 कण्डिका-2 (अन्य)	1. कारा संसीमन प्रमाण पत्र। 2. जेल की अवधि दिनांक 15.03.1993 से 23.03.1993 तक। 3. जेल की अवधि-08 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)

5	आवेदक - फारूख आलम अंसारी पिता- स्व० अब्दुल अजीज ग्राम- वार्ड नं०-10, हरिणडांगा बाजार पोस्ट- पाकुड़ थाना- पाकुड़ (नगर) प्रखण्ड- पाकुड़ जिला- पाकुड़	अधिसूचना सं०-5275 दिनांक-22.09.2017 कण्डिका-2 (अन्य)	1. कारा संसीमन प्रमाण पत्र। 2. जेल की अवधि दिनांक 15.03.1993 से 23.03.1993 तक। 3. जेल की अवधि-08 दिन।	कण्डिका-2(Viii)(a)
---	---	--	---	--------------------

4. संबंधित उपायुक्त चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी / आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी / आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के प्रावधानानुसार सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-01.08.2015 की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सरकार के उपसचिव ।
